रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062026-273372
CG-DL-E-11062026-273372

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2026/ज्येष्ठ 21, 1948
No. 424] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2026/JYAISTHA 21, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2026

सा.का.नि. 474(अ).— चूँकि केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के तहत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उनके व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार है, जिससे उनकी प्रदाय बनाए रखी जा सके या बढ़ाई जा सके और उचित कीमतों पर उनका समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके;

और चूँकि केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,सार्वजनिक जीवन, अर्थव्यवस्था तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन, भंडारण और प्रदाय को विनियमित करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 जारी किया था;

और चूँकि केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर स्पिरिट (एमएस) और उच्च वेग डीजल (एचएसडी) की प्रदाय और वितरण को विनियमित करने और उनसे संबंधित अनाचारों को रोकने के लिए मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 जारी किया था;

और चूँकि मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल आवश्यक वस्तुएं हैं और माल और यात्रियों के परिवहन, कृषि संबंधी कार्यों, आपातकालीन सेवाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक जीवन तथा अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए उचित कीमतों पर इनकी निर्बाध उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है;

और चूँकि दुनिया के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदाय श्रृंखलाओं, शिपिंग लॉजिस्टिक्स और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, जिससे उपलब्ध प्रदाय के विवेकपूर्ण प्रबंधन और संरक्षण की आवश्यकता है और ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों से औपचारिक तरीके से निपटने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है;

और चूँकि वर्तमान स्थिति में यह देखा गया है कि औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं का खुदरा और थोक बिक्री कीमतों के बीच अंतर के कारण खुदरा बिक्री केंद्रों की ओर रुख करने के कारण देश के कुछ हिस्सों में खुदरा बिक्री केंद्रों के माध्यम से मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल की बिक्री में असामान्य वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप खुदरा उपभोक्ताओं के लिए लक्षित प्रदाय का विपथन हो रहा है और स्थानीय स्तर पर कमी तथा जनसामान्य के लिए आवश्यक सेवाओं में व्यवधान की संभावना पैदा हो रही है;

और चूँकि खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से इस तरह की भारी मात्रा में अधिप्राप्ति से असली खुदरा ग्राहकों के लिए मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इससे जमाखोरी, विपथन और अनाचार हो सकता है;

और चूँकि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल की प्रदाय , वितरण और बिक्री को उचित कीमतों पर विनियमित करना आवश्यक है ताकि उनकी न्यायोचित उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, उन्हें दूसरी जगह ले जाने और जमाखोरी से रोका जा सके और पूरे देश में प्रदाय निर्बाध बनी रहे;

अतएव, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 के खंड 9 के साथ पठित एवं पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के के उद्देश्यों की पूर्ति में, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, नामत:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इस आदेश का नाम मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (खुदरा विक्रय केंद्रों के माध्यम से प्रदाय का अस्थायी विनियमन) आदेश, 2026 होगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषा

इस आदेश में उल्लेखित शब्द और वाक्यांश जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जो 'मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005' में परिभाषित किया गया हैं, उनका अर्थ क्रमशः वही होगा जो उस आदेश में उल्लेख किया गया है।

3. खुदरा बिक्री केंद्र के माध्यम से एमएस/ एचएसडी की अधिप्राप्ति की मात्रा पर प्रतिबंध

चूंकि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल की प्रदाय बनाए रखने और उचित मूल्यो पर इनके न्यायोचित वितरण और उपलब्धता को सुनिश्चित करना जनहित में आवश्यक और उचित है, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) अथवा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी संकल्प सं पी-23015/1/2001- विपणन दिनाक 8 मार्च, 2002 और पी-12029(11)/2/2018- ओएमसी-पीएनजी दिनाक 8 नवंबर,

2019 के तहत परिवहन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकृत कंपनियों अथवा दोनों को वह सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से निम्नलिखित निर्देश जारी कर सकती है:

1) संस्थागत और प्रत्यक्ष अथवा औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहक, खुदरा बिक्री केंद्र से एमएस और/या एचएसडी नहीं खरीदेंगे या नहीं मंगवाएंगे और अपनी एमएस / एचएसडी की आवश्यकताओ को केवल अपने उपभोक्ता पंप से ही पूरी करेंगे।

2) खुदरा बिक्री केंद्र एचएसडी केवल वाहनों के टैंक अथवा पेसो (PESO) से अनुमोदित कंटेनर में ही बिक्री करेंगे और एक दिन में एक ग्राहक/वाहन को 200 लीटर से ज़्यादा एचएसडी बिक्री नहीं करेंगे । ऐसे ग्राहक इस एचएसडी की पुनः बिक्री नहीं कर सकते हैं।

3) तेल विपणन कंपनियाँ तथा खुदरा विक्रय केंद्र डीलर धारा 3 के अधीन लगाए गए प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा उनके उल्लंघन को रोकेंगे।

4) इस प्रावधान के तहत कोई भी आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 90 दिनों की प्रारंभिक वैधता के लिए या किसी अन्य आदेश द्वारा रद्द किए जाने तक, जो भी पहले हो, जारी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि आदेश अपनी समाप्ति से पहले रद्द नहीं किया जाता है, तो उसे लागू रखने के लिए किसी अन्य आदेश द्वारा उसका विस्तार करना होगा और वह विस्तार आदेश में निर्धारित अवधि तक वैध रहेगा।

4. छूट

सरकार विशेष आदेश द्वारा किसी भी उपभोक्ता, उपभोक्ता वर्ग, क्षेत्र, लेनदेन या लेनदेन की श्रेणी को इस आदेश के सभी या किसी भी प्रावधान से छूट दे सकती है।

5. तलाशी और अधिग्रहण की शक्ति

यथास्थिति, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी या पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप-अधीक्षक के पद से नीचे का न हो या तेल कंपनी का कोई अधिकारी जो सेल्स ऑफिसर के पद से नीचे का न हो, इस आदेश के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 में उसे सौंपे गए तलाशी और अधिग्रहण संबंधित अधिकार प्राप्त होंगे।

6. राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को निर्देश

राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन इस आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 और अन्य लागू कानूनों के तहत मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल से संबंधित जमाखोरी, कालाबाजारी, अनधिकृत अधिप्राप्ति, विपथन और अन्य अनाचारों के विरुद्ध कार्रवाई सहित सभी आवश्यक उपाय करेंगे ।

7. जुर्माना

इस आदेश के प्रावधानों अथवा इसके तहत जारी निर्देशों का कोई भी उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार दंडनीय होगा।

[फा. सं. एम-11045 /57/2026-वितरण-पीएनजी]

अरुण कुमार, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2026

G.S.R. 474(E).— Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), to regulate or prohibit the production, supply and distribution of essential commodities and trade and commerce therein for maintaining or increasing supplies thereof and for securing their equitable distribution and availability at fair prices;

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, issued the Petroleum Products (Maintenance of Production, Storage and Supply) Order, 1999 to regulate the production, storage and supply of petroleum products in the interest of sustaining public life, economy and protecting consumer interest;

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, issued the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005 to regulate the supply and distribution of Motor Spirit (MS) and High Speed Diesel (HSD) and prevent malpractices relating thereto;

And whereas Motor Spirit and High Speed Diesel are essential commodities and uninterrupted availability thereof at fair prices is critical for transportation of goods and passengers, agricultural operations, emergency services, national security and other activities vital to public life and the economy;

And whereas the current prevailing geopolitical situation affecting certain regions of the world has adversely affecting international petroleum supply chains, shipping logistics and availability of petroleum products necessitates prudent management and conservation of available supplies and raises the need to deal with such unpredictable situations in a formal manner;

And whereas it has been observed in current situation that abnormal increases in sales of Motor Spirit and High Speed Diesel through Retail Outlets in certain parts of the country are driven by shifting of industrial, commercial and institutional consumers to Retail Outlets owing to the price difference between retail and bulk sale prices, resulting in diversion of supplies intended for retail consumers and creating the potential for localised shortages and disruption of essential services to common man;

And whereas such bulk procurement through Retail Outlets has the potential to adversely affect the availability of Motor Spirit and High-Speed Diesel for bona fide retail consumers and may lead to hoarding, diversion and other malpractices;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary in the public interest to regulate the supply, distribution and sale of Motor Spirit and High-Speed Diesel at fair prices so as to ensure their equitable availability, prevent diversion and hoarding and maintain uninterrupted supplies across the country;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), read with clause 9 of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005 and in furtherance of the Petroleum Products (Maintenance of Production, Storage and Supply) Order, 1999, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title and commencement

(1) This order may be called the Motor Spirit and High Speed Diesel (Temporary Regulation of Supply through Retail Outlets) Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions

In this order words and expressions used herein and not defined but defined in the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005 shall have the meanings respectively assigned to them in that Order.

3. Restriction on the quantity of procurement of MS/HSD through Retail Outlets

Whereas the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest for maintaining supplies of Motor Spirit and High Speed Diesel and securing their equitable distribution and availability at fair prices, it may, by general or special order, issue the following directions to Public sector Undertaking Oil Marketing Companies (OMCs) or any other entity authorised under Resolutions Number P-23015/1/2001-Mkt. dated 8th March, 2002 and P-12029(11)/2/2018-OMC-PNG dated 8th November, 2019, issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas to market transportation fuels or to both :

1. Institutional & Direct or Industrial & Commercial customers shall not procure or cause to be procured MS and/or HSD from Retail Outlets and shall only source their MS/HSD requirements from their own consumer pumps.
2. Retail Outlet dealers shall dispense HSD only in a vehicle tank, or PESO-approved containers, and not exceeding 200 litres in a day to a customer/vehicle and this HSD cannot be resold.
3. Oil Marketing Companies and Retail Outlet Dealers shall ensure compliance with the restrictions imposed under section 3 and prevent its circumvention.
4. Any order issued under this provision can be issued only for an initial validity period not exceeding 90 days from the date of issue or till revoked by another order, whichever is earlier. Further, if the order is not revoked prior to its expiry, then for it to remain in force beyond the initial period, it shall have to be extended by another order, and it shall remain valid for a period as may be prescribed in the extension order.

4. Exemptions

The Government may by a special order exempt any consumer, class of consumers, area, transaction, or category of transactions from all or any of the provisions of this Order.

5. Power of Search and Seizure

Any Gazetted officer of the Central Government or a State Government or any police officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police duly authorised, by general or special order of the Central Government or a State Government, as the case may be, or any officer of the oil company, not below the rank of sales officer, may, with a view to securing compliance with the provisions of this Order, shall have the powers of search and seizure assigned to it in the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005.

6. Directions to State Governments and Union Territory Administrations

The State Governments and Union Territory Administrations shall take all necessary measures to implement this order, including action against hoarding, black marketing, unauthorised procurement, diversion and other malpractices relating to Motor Spirit and High-Speed Diesel under the Essential Commodities Act, 1955, the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005 and other applicable laws.

7. Penalty

Any contravention of the provisions of this Order or directions issued thereunder shall be punishable in accordance with the provisions of the Essential Commodities Act, 1955 and other applicable laws.

[F. No. M-11045/57/2026-Distribution-PNG]

ARUN KUMAR, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA